उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 402644

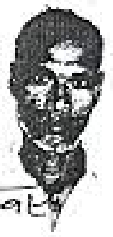

विक्रय विलेख

प्रतिफल की धनराशि - रू0 7,83,919/-
बाजारू मूल्य - रू0 1,81,830/-
अदा किये गये जनरल स्टैम्प- रू0 78,400/-

1. भूमि का प्रकार - कृषि
2. परगना - बिजनौर
3. ग्राम - यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ
4. सम्पत्ति का विवरण - भूमि खसरा संख्या 107अ रकबा

भारतीय गैर न्यायिक

INDIA NON JUDICIAL

RUPEES 25000 रुपये

पच्चीस हज़ार रुपये

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 402645

			0.113 हे0, खसरा संख्या 107ब रकबा 0.383 हे0 कुल रकबा 0.496 हे0 का 1/3 भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.1653 हे0 स्थित ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ।
5.	मापन की ईकाई	-	हेक्टेअर
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	-	0.1653 हेक्टेअर
7.	सड़क की स्थिति	-	सुल्तानपुर रोड व अमरशहीद पथ से

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

427649

TRY. PRO.
कोषागार लखनऊ के अधि
5 JUN
TRY.

लगभग 200 मीटर से अधिक

8. सम्पत्ति का प्रकार - कृषि
9. पेड़ों की स्थिति - नहीं
10. बोरिंग/ कुआं अन्य - कुछ भी नहीं है ।

संयुक्त चौहद्दी खसरा नं0 107अ व 107ब

उत्तर : नहर व खसरा नं0-702

दक्षिण : खसरा नं0-108, 110

पूरब : खसरा नं0-111

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

YB 474650

5 JUN 2007

पश्चिम : खसरा नं0-104, 105

प्रथम पक्ष की संख्या- 1 : द्वितीय पक्ष की संख्या- 1

विक्रेता का विवरण	:	क्रेता का विवरण
रामस्वरूप पुत्र कल्लू निवासी- ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ।	:	धर्मराज पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर।
व्यवसाय- कृषि		व्यवसाय- कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 पाँच हजार रुपये

Rs.5000 FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Y 427651

5 JUN 2007

यह विक्रय विलेख रामस्वरूप पुत्र कल्लू निवासी- ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर तहसील व जिला लखनऊ जिन्हें आगे विक्रेता कहा गया है एवम् धर्मराज पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मिर्जापुर भिटारी पो0 नौगॉव, तहसील व जिला फतेहपुर जिन्हें आगे क्रेता कहा गया है के मध्य निष्पादित किया गया।

यह कि विक्रेता भूमि खसरा संख्या 107अ रकबा 0.113 हे0, खसरा संख्या 107ब रकबा 0.383 हे0 कुल रकबा 0.496 हे0 का 1/3

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

- 8 JUN 2007

भाग अर्थात विक्रीत रकबा 0.1653 हे0 स्थित ग्राम- यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ, परगना बिजनौर, तहसील व जिला लखनऊ का मालिक, कामिल व काबिज है तथा उपरोक्त सत्यापित षटवार्षिक खतौनी क्रम संख्या 00045 के अनुसार भूमि विक्रेता के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है और विक्रेता के नाम का अमल दरामद राजस्व अभिलेखों में हो गया है। विक्रेता पैसों की सख्त आवश्यकता के कारण विक्रेता अपना सम्पूर्ण हिस्सा क्रेता को इस विक्रय विलेख द्वारा विक्रय कर रहा है विक्रेता

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 479033

उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि के मालिक, कामिल व काबिज है एवं वर्तमान समय में उक्त भूमि कृषि भूमि है और उक्त भूमि सरप्लस भूमि का हिस्सा नहीं है। यह कि विक्रेता यह घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित भूमि सभी प्रकार के भारों से मुक्त एवं पाक व साफ है तथा विक्रेता ने उसे इस विक्रय के पूर्व कहीं बय, हिबा, गिरवी या अनुबन्धित इत्यादि नहीं किया है। विक्रेता ने उक्त भूमि पर कृषि ऋण या अन्य प्रकार का कोई ऋण नहीं लिया है। यदि कोई ऐसा ऋण भविष्य में निकलता है तो उसके जिम्मेदार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH C 191335

विक्रेता व उसके वारिसान व विधिक उत्तराधिकारी होगें। उपरोक्त भूमि या उसका कोई भाग किसी न्यायालय या सरकारी कार्यवाही के अन्तर्गत विवाद का वस्तु विषय नहीं है, न ही कुर्क इत्यादि है। विक्रेता के अलावा उक्त भूमि में किसी अन्य व्यक्ति का स्वत्व, हक या दावा इत्यादि नहीं है, एवं विक्रेता को उक्त विक्रय अन्तरण करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। अतएव उपरोक्त सम्पत्ति के फलस्वरूप कुल विक्रय मूल्य रू0 7,83,919/- के प्रतिफल में जिसका उपरोक्त क्रेता द्वारा विक्रेता की इस विलेख के अन्त में

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 191336

दी गई अनुसूची में वर्णित विधि के अनुसार भुगतान कर दिया गया है एवं जिसकी प्राप्ति को विक्रेता यहाँ स्वीकार करते हैं, तदानुसार उक्त विक्रेता उक्त क्रेता के हाथ उपरोक्त वर्णित भूमि, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में अनुसूची के अन्तर्गत दिया गया है, को कतई बेच दिया है, एवं विक्रेता ने विक्रयशुदा भूमि का मौके पर कब्जा क्रेता को बखूबी करा दिया गया है। अब उक्त आराजी पर विक्रेता तथा उसके वारिसान का कोई अधिकार नहीं है। विक्रेता ने विक्रयशुदा सम्पत्ति को अपने

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

C 191337

स्वामित्व के समस्त अधिकारों के साथ पूर्णतया व हमेशा के लिए क्रेता को हस्तान्तरित कर दिया है। अब क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति एवं उसके प्रत्येक भाग को अपने एकमात्र स्वामित्व व अधिकार व कब्जे में सम्पत्ति के रूप में धारण एवं उपयोग व उपभोग करेंगे। विक्रेता व उसके वारिसान उसमें किसी प्रकार की अड़चन बाधा नहीं डाल सकेंगे एवं न ही कोई मांग कर सकेंगे और यदि विक्रयशुदा सम्पत्ति अथवा कोई भाग विक्रेता के स्वामित्व में त्रुटि के कारण या कानूनी अड़चन या कानूनी त्रुटि के कारण क्रेता या

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 765545

उसके वारिसान निष्पादकगण इत्यादि के कब्जे या अधिकार या स्वत्व से निकल जाये तो क्रेता उसके वारिसान, निष्पादकगण इत्यादि को यह हक होगा कि वह अपना समस्त नुकसान मय हर्जा व खर्चा, विक्रेता की चल, अचल सम्पत्ति से जरियें अदालत वसूल कर लें। उस स्थिति में विक्रेता एवं उसके वारिसान हर्जा व खर्चा देने हेतु बाध्य होगा ।

यह कि विक्रेता यह भी घोषित करता है कि उक्त भूमि लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ तथा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 765546

8 JUN 2001

लखनऊ तथा अन्य किसी भी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था द्वारा अधिग्रहीत नहीं की गयी है और न ही प्रस्तावित है ।

यह कि क्रेता विक्रयशुदा सम्पत्ति की दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज करा लें तो विक्रेतागण को कोई आपत्ति न होगी और यह कि इस विक्रय विलेख के पूर्व का अगर कोई बकाया किसी तरह का भार इस सम्पत्ति पर होगा तो उसको विक्रेता भुगतान व वहन करेंगे, विक्रेता को कोई आपत्ति न होगी।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 765547

यह कि उपरोक्त खसरा नम्बर ग्राम यूसुफनगर उर्फ बगियामऊ अर्धनगरीय क्षेत्र के सामान्य ग्राम के अन्तर्गत आता है इसलिए निर्धारित सरकिल रेट रू0 11,00,000/- प्रति हेक्टेअर हिसाब से विक्रीत भूमि 0.1653 हेक्टेअर की मालियत रू0 1,81,830/- होती है तथा विक्रय मूल्य, भूमि की बाजारू मूल्य से अधिक है इसलिए नियमानुसार विक्रय मूल्य पर ही रू0 78,400/- जनरल स्टाम्प अदा किया जा रहा है। यह कि उपरोक्त विक्रीत भूमि कृषि के उपयोग के लिए क्रय की जा रही है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

G 765548

भूमि में कोई पेड़ इमारत आदि नहीं है तथा किसी प्रकार की आवासीय गतिविधियां नहीं चल रही है व कोई नलकूप, कुआं भी नहीं है, तथा 200 मी0 के अर्धव्यास में कोई निर्माण नहीं हे विक्रीत भूमि किसी लिंक मार्ग, राजमार्ग व जनपदीय मार्ग पर स्थित नहीं है। विक्रीत भूमि सुल्तानपुर रोड से व अमर शहीद पथ से लगभग 200 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित है।

आदर्श कोषागार, लखनऊ

दिनांक 16/6/07

मूल्य 100/- जनरल स्टाम्प

नाम

द्वारा

ह० रोकड़िया

मुख्य रोकड़िया
विक्रय पत्र

783,919.00/	182,000.00	5,000.00	40	5,040.00	2,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती राम स्वरूप

पुत्र / पत्नी श्री कल्लू

पेशा व्यापार

निवासी स्थायी यूसुफ नगर लखनऊ

अस्थायी पता

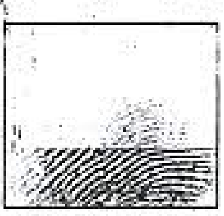

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 16/6/2007 समय 3:05PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
16/6/2007

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू. प्रलेखानुसार उक्त

विक्रेता

श्री/श्रीमती राम स्वरूप
पुत्र/पत्नी श्री कल्लू
पेशा व्यापार
निवासी यूसुफ नगर लखनऊ

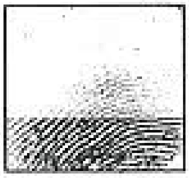

क्रेता

श्री/श्रीमती धर्मराज
पुत्र/पत्नी श्री जगदीश
पेशा व्यापार
निवासी मिर्जापुर मिटारी फतेहपुर

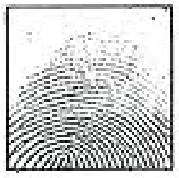

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री सुनील सिन्हा

पुत्र श्री अजी0 सी सिन्हा

पेशा व्यापार

निवासी आर्यानगर लखनऊ

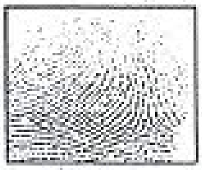

व श्री विवेका नन्द

पुत्र श्री महादीन

पेशा कृषि

निवासी युसुफ नगर बगियामऊ लखनऊ

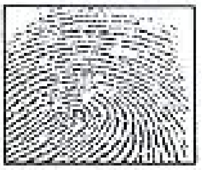

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

के.के.शुक्ला
उप निबन्धक (प्रथम)
लखनऊ
16/6/2007

विक्रेता एवं क्रेता दोनो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं। इस विक्रय विलेख के निबन्धन का समस्त व्यय क्रेता द्वारा वहन किया गया है।

लिहाजा यह विक्रय पत्र विक्रेता ने क्रेता के पक्ष में लिख दिया ताकि सनद रहे और आवश्यकता पड़ने पर काम आवे।

परिशिष्टः भुगतान विवरण

1. विक्रेता को रू0 7,83,919/- द्वारा चेक संख्या- 587571 दिनांकित 16.06.2007 पंजाब नैशनल बैंक, हजरतगंज लखनऊ क्रेता से प्राप्त हुए।

इस प्रकार विक्रेता को कुल विक्रय मूल्य 7,83,919/- (रूपया सात लाख तिरासी हजार नौ सौ उन्नीस मात्र) क्रेता से प्राप्त हुए जिसकी प्राप्ति विक्रेता स्वीकार करते हैं तथा विक्रेता को क्रेता से कुछ भी लेना-देना शेष नहीं है।

लखनऊ:
दिनांक : 16.06.2007

विक्रेता

गवाह :-क्रेता की पहचान की
1.

क्रेता

2. विक्रेता की पहचान की

टाईपकर्ता
(सोनू कुमार)
सिविल कोर्ट लखनऊ

मसविदाकर्ता
(विवेक कुमार सिंह)
एडवोकेट

विक्रेता

Registration No 5823 Year : 2007 Book No. 1

0101 राम स्वरुप

कल्लू

गुसुफ नगर लखनऊ

व्यापार

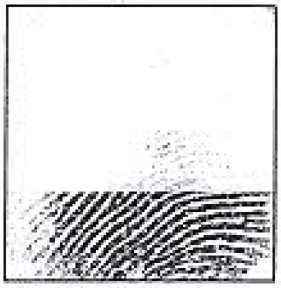

ग्राम [illegible] परगना [illegible] तहसील [illegible]

खसरा नं 107 [illegible] 107 [illegible]　　　जिला [illegible]

रकबा [illegible]

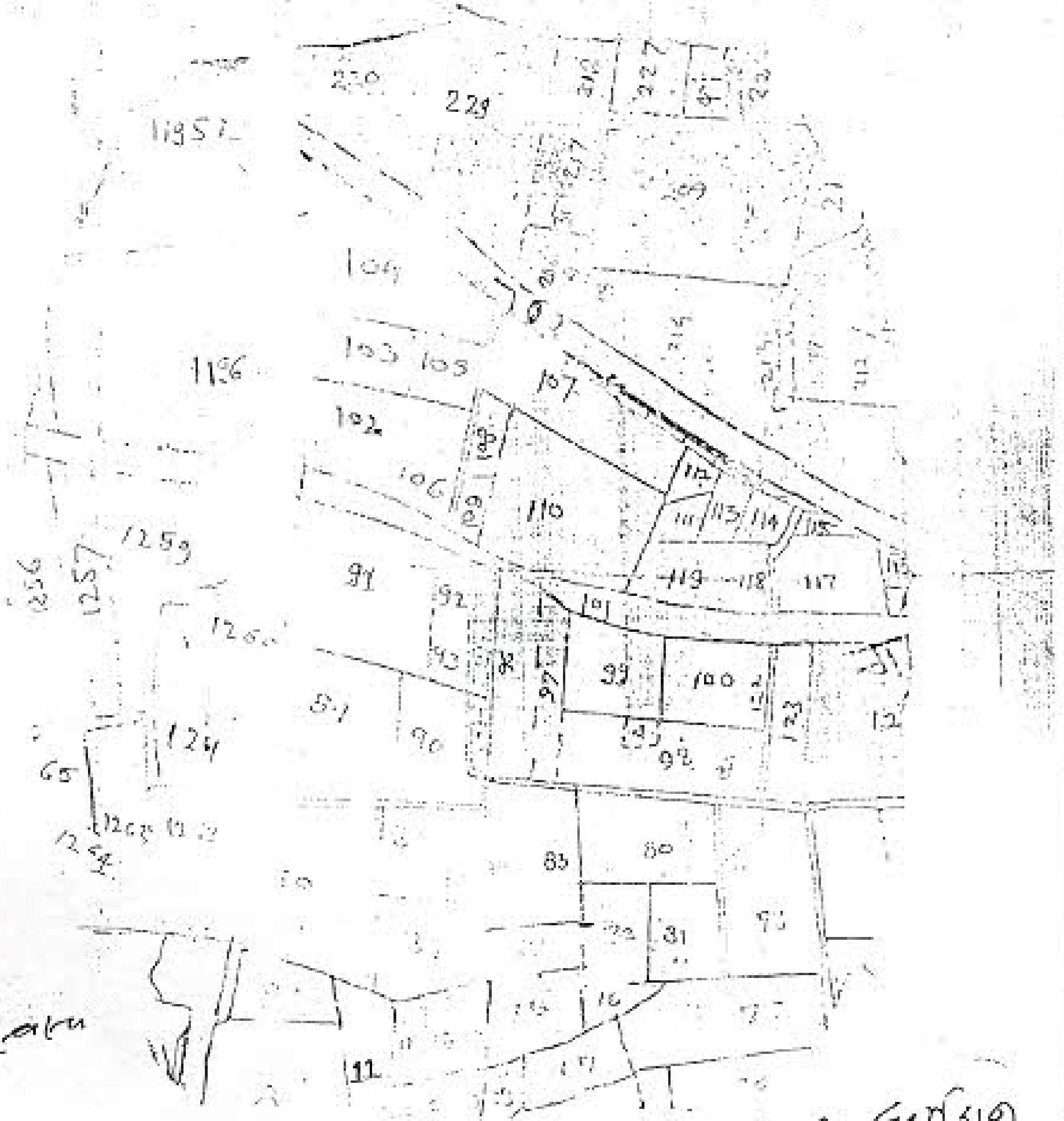

क्रेता

Registration No. 5823 – Year : 2007 Book No. 1

0201 धर्मराज

जगदीश

मिर्जापुर गिटारी फतेहपुर

व्यापार

रजिस्ट्रेशन अधि0 1908 की धारा - 32 ए0 के अनुपालन हेतु,

फिंगर्स प्रिन्ट्स

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता नाम व पता :– [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

प्रस्तुतकर्ता / विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

विक्रेता / क्रेता नाम व पता :– [illegible]

बायें हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ के अंगुलियों के चिन्ह :–

विक्रेता / क्रेता के हस्ताक्षर

आज दिनांक 16/06/2007 को

बही सं 1 जिल्द सं 8405

पृष्ठ सं 299 से 332 पर कमांक 5823

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

के.के.शुक्ला

उप निबन्धक (प्रथम)

लखनऊ

16/6/2007